फर्द अहकाम

(नियम 26)

जज अदालत अतिरिक्त जिला कलेक्टर मुकाम झुन्झुनू

सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी बनाम नथीसिंह यादव

किस्म मुकदमा F.S.S.A एक्ट 2006 नं. 11 सन् 2022

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
27/5/22	यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत एफ.एस.एस.ए. एक्ट 2006 एव सपठित धारा 2011 खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री जयसिंह यादव द्वारा पेश करने पर बाद जांच प्रस्तुत हुआ। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर हो। गैरसायल की तलबी जारी हो। पत्रावली वास्ते तलबी दिनांक 28.06.2022 को पेश हो। अति. जिला कलक्टर झुंझुनूं	
28.6.2022	पत्रावली पेश हुई। आवेदक उपस्थित। अनावेदक स्वयं उपस्थित। मेरे द्वारा खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एव नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा (2) (II) के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं अनावेदक द्वारा पेश जबाब प्रार्थना पत्र का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। अनावेदक/अभियुक्त का कथन है, कि उसने भोड़की रोड़ किसान कॉलोनी, गुढा गौड़जी, झुन्झुनू में मै0 कान्हा स्वीट के नाम से मिठाई की दुकान कर रखी है जहां वह पनीर बनाता है। अनावेदक ने बताया कि वह पनीर को पानी में डालकर रखता है पनीर को पानी में रखने से मोश्चुराईजर मात्रा आ गई है। इसके अलावा कोई मिलावट नही की है। अतः उसे धारा 26 (2) (II) का दोषी नहीं माना जाये। हस्तगत प्रकरण प्रकरण में खाद्य विश्लेषक राज जयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं0 एल.एस./363/एक्ट/2022/392/दिनांक 11.02.2022 के अनुसार खाद्य पदार्थ पनीर सब–स्टेण्ड **(Sub-Standard)** पाया गया है। जो एफ.एस.एस. ए की धारा 26 की उपधारा (2) (II) के उल्लंघन में आता है। चूँकि अनावेदक अपनी दुकान मै0 कान्हा स्वीट में पनीर स्वयं [illegible] है अतः प्रकरण में खाद्य पदार्थ पनीर के सब–स्टेण्ड (Sub-Standard) [illegible] स्थिति में प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुये अनावेदक [illegible] पुत्र परमेश्वर लाल सराफ, मै0 कान्हा स्वीट, भोड़की रोड़ [illegible] कॉलोनी, गुढा गौड़जी झुन्झुनू को धारा 26 की उपधारा (2) (II) को दोषी मानकर प्रकरण में अनावेदक को 3000/– तीन हजार रूपये अर्थदण्ड/जुर्माने से दण्डित किया जाता है। उक्त राशि राज्य सरकार द्वारा निर्धारित बजट मद में 15 दिवस में जरिये चालान बैंक में जमा कराकर चालन की एक प्रति इस न्यायालय में प्रस्तुत करें। आदेश	[signature]

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2022.07.04 12:53:06 IST
Reason: SelfAttested

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	की एक प्रति खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, झुंझुनू को भिजवाये। आदेश सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नंबर से कम हो तथा बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। अति. जिला कलक्टर झुंझुनूं	

Signature Not Verified

Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2022.07.04 12:53:06 IST
Reason: SelfAttested